माउंट कार्मेल स्कूल सोसायटी

बनाम

डी. डी. ए.

14 दिसंबर, 2007

[न्यायामुर्ति एस. बी. सिन्हा और न्यायामुर्ति हरजीत सिंह बेदी]

शहरी विकास-भूमि का आवंटन-अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के संचालन के लिए चार एकड़ भूमि के आवंटन हेतू दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी. डी. ए.) के समक्ष दायर आवेदन - डी. डी. ए. द्वारा केवल दो एकड़ भूमि आवंटित करने बाबत नीतिगत निर्णय लिया गया - नीतिगत निर्णय के खिलाफ याचिका - एकल पीठ द्वारा खारिज औचित्य - अभिनिर्धारित, अपीलकर्ता के मामले में लिए गये नीतिगत निर्णय में डी. डी. ए. ने अन्य समान रूप से स्थित संस्थान को चार एकड़ भूमि आवंटित किया जाना दर्शित नहीं हुआ है- रिट याचिका में उठाई गई भेदभाव का तर्क बिल्कुल अस्पष्ट है-भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226।

अपीलार्थी-सोसायटी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी. डी. ए.) के समक्ष एक उच्च माध्यमिक विद्यालय चलाने के लिए चार एकड़ भूमि के आवंटन हेतू आवेदन दायर किया गया था। डीडीए ने केवल दो एकड़ भूमि

आवंटित करने का नीतिगत निर्णय लिया, जबकि संस्थागत आवंटन कमेटी ने पहले चार एकड भूमि आवंटित करने की सिफारिश की थी। उक्त नीतिगण फैसले के खिलाफ दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। इसके बाद दायर की गई याचिका भी खारिज कर दी गई।

इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि श्री वेंकटेश्वर एजुकेशनल सोसाइटी के मामले में उसे चार एकड़ भूमि आवंटित करने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी को समान अनुदान से वंचित कर दिया गया था।

न्यायालय में याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित किया कि 1.1. प्राधिकरण का विवादित नीतिगत निर्णय, जिसे चुनौती दी गई है, अक्टूबर 1999 में लिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष यह प्रकट नहीं किया गया है कि अक्टूबर 1999 के बाद किसी भी सोसायटी के पक्ष में चार एकड़ क्षेत्र वाली भूमि का कोई आवंटन किया गया हो। [पैरा 11] [879-एफ]

1.2. इसके अलावा, रिट याचिका में उठाया गया भेदभाव का तर्क बिल्कुल अस्पष्ट है। रिट याचिका में लिए गए उक्त आधार में यह भी निर्दिष्ट नहीं करते कि अपीलार्थी , श्री वेंकटेश्वर शिक्षा समिति या कोई

अन्य आवंटी संस्था के साथ भेदभाव किया गया हो। उक्त सोसायटी के पक्ष में अनुदान का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी विशिष्ट विवाद के अभाव में, प्रतिवादी के लिए इसका कोई भी उत्तर प्रस्तुत करना संभव नहीं है। [पैरा 13] [879-जी; 880-ए-बी]

1.3 . उच्च न्यायालय के एकल पीठ के समक्ष इस संबंध में कोई तर्क नहीं दिया जाना प्रतीत होता है। अपीलार्थी की अपील के ज्ञापन को न तो इसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जो न्यायालय में उपस्थित थे अथवा उसकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा हलफनामे से समर्थित नहीं किया गया है, जो इस तथ्य की पुष्टि कर सके कि भेदभावपूर्ण व्यवहार के संबंध में विवाद उच्च न्यायालय के एकल पीठ के समक्ष उठाया गया था लेकिन उक्त पीठ द्वारा उक्त विवाद पर विचार नहीं गया था। [पैरा 14] [880-सी-डी]

1.4 . न्यायाधीश के अभिलेख को सही रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार अपीलार्थी, उच्च न्यायालय के एकल पीठ के समक्ष रिव्यू के लिए आवेदन दायर कर सकता था, जो उसके द्वारा नहीं किया गया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की गयी हो। [पैरा 15 और 16] [880-डी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5944/2007

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के एल. पी. ए. सं. 404 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 07.09.2005 के विरुद्ध।

अपीलार्थी की ओर से - के. के. राय, कृष्णानंद पांडे, बांके बिहारी, अश्विनी के. सखीजा और एस. के. पांडे।

प्रत्यर्थी की ओर से - वी. बी. सहारिया (मै० सहारिया एंड कंपनी की ओर से)

यह न्यायालय निर्णय **एस. बी. सिन्हा**, जे. द्वारा दिया गया -

1. याचिका स्वीकार की गई।

2. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा एलपीए संख्या 404/2003 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 7.9.2005 के विरूद्ध निर्देशित की है।

3. अपीलार्थी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है। जो एक शैक्षणिक संस्थान का संचालन करती है। इसने दिल्ली विकास प्राधिकरण के समक्ष एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालन के लिए चार एकड़ भूमि के आवंटन हेतू आवेदन किया था। प्राधिकरण द्वारा गठित संस्थागत आवंटन समिति ने चार एकड़ जमीन के आवंटन के लिए सिफारिशें की थी। निर्विवाद रूप से डीडीए के सक्षम

प्राधिकारी ने केवल दो एकड़ भूमि को आवंटित करने का नीतिगत निर्णय लिया था।

4. दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा विवादित निर्णय के कारण दायर की गई कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। हमारे सामने उठाए गए प्रश्नों पर विचार करने से पहले, हम यह रिकॉर्ड पर रख सकते है कि वर्तमान अपील को छोड़कर, इस न्यायालय की खंड पीठ (कोरम-न्यायामुर्ति बी. पी. सिंह और न्यायामुर्ति पी. के. बालासुब्रमण्यम) द्वारा अन्य अपीलों की सुनवाई की गई थी और उन्हें खारिज किया गया था। हालाँकि, उक्त आदेश तर्क संगत नहीं है।

5. श्री के. के. राय, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील में मौजुद तथ्यात्मक परिदृश्य, अन्य अपील से अलग है, क्योंकि चार एकड़ भूमि के आवंटन की सिफारिश अपीलार्थी और श्री वेंकटेश्वर शैक्षिक सोसायटी के पक्ष में की गई थी, लेकिन श्री वेंकटेश्वर शैक्षिक सोसायटी के पक्ष में चार एकड़ भूमि का आवंटित करने का निर्देश दिया गया था; अपीलार्थी को इसी तरह के अनुदान से वंचित कर दिया गया था।

विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया। क्योंकि वह इस बात को विचार करने में विफल रहा कि उक्त श्री वेंकटेश्वर शैक्षिक सोसायटी

आवश्यक पक्षकार नहीं था, क्योंकि रिट याचिका में पक्षकार के रूप में उसके खिलाफ कोई अनुतोष का दावा नहीं किया गया था, यद्यपि रिट याचिका की स्वीकार की जाती, तो उक्त सोसायटी को किसी भी पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ता।

6. श्री वी. बी. सहारिया, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, ने विवादित निर्णय का समर्थन किया।

7. उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए यह प्रश्न उठा था कि क्या दिल्ली मास्टर प्लान में एक माध्यमिक विद्यालय चलाने के लिए चार एकड़ भूमि के आवंटन का प्रावधान था, दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल दो एकड़ जमीन के आवंटन का नीतिगत निर्णय ले सकता था।

8. हम यहाँ यह देख चुके हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्थापना के लिए बड़ी संख्या में सोसायटियों ने भूमि आवंटन हेतू आवेदन किया था। दिनांक 23.10.1998 पर या उसके आसपास संस्थागत आवंटन समिति द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में एक सिफारिश की गई थी। निर्विवादित रूप से, इसी तरह की सिफारिशें अन्य सोसायटी, जिसमें उक्त श्री वेंकटेश्वर शैक्षिक सोसायटी भी शामिल थी, के पक्ष में की गई थी। हालाँकि समिति की सिफारिशों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा यह भी प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को उसके नवीनतम बैंक बैलेंस और/या वित्तीय स्थिति प्रमाण पत्र भेजने के लिए कहा गया था।

9. उपराज्यपाल, जो सोसायटी के अध्यक्ष हैं, ने विद्यालय भवन के निर्माण से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण भी मांगे थे। दिनांक 9.3.2000 पर या उसके आसपास, एक अस्थायी आवंटन किया गया था, लेकिन कथित तौर पर अपीलकर्ता सोसायटी निर्धारित अवधि के भीतर वचन प्रस्तुत करने में विफल रही।

10. निर्विवाद रूप से, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने अपीलकर्ता सोसायटी के पक्ष में केवल दो एकड़ भूमि के आवंटन के लिए सिफारिश की थी। हालाँकि दिनांक 25.8.1999 को श्री वेंकटेश्वर शैक्षिक सोसायटी को चार एकड़ भूमि आवंटित की गई थी।

11. प्राधिकरण का नीतिगत निर्णय, जिसे इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है, अक्टूबर 1999 में लिया गया था। यह हमारे सामने दर्शित नहीं किया गया है कि अक्टूबर 1999 के बाद से किसी भी सोसायटी के पक्ष में चार एकड़ क्षेत्रफल वाली भूमि का कोई भी आवंटन किया गया हो।

12. हम यह भी देख सकते हैं कि इस रिट याचिका में भेदभाव बाबत उठाई गई आपत्ति पूरी तरह से अस्पष्ट है क्योंकि यह केवल कथन किया है कि:

"याचिकाकर्ता ने यह भी अंकन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 24.03.2000 को वर्ष 1996 में प्रचलित दर प्रति एकड़ Rs.30 लाख पर 1.60 हेक्टेयर भूमि के आवंटन के लिए अनुरोध किया था जब भूमि के लिए आवेदन किया गया था आैर अन्य समान रूप से स्थित संस्थानों को भूमि आवंटित की गई थी....."

13. इस संबंध में रिट याचिका में लिए गए आधारों में यह भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के साथ, श्री वेंकटेश्वर एजुकेशन सोसाइटी या कोई अन्य आवंटी से भेदभाव किया गया है। उक्त सोसायटी के पक्ष में किये गये अनुदान का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उठाये गये विवाद विशिष्टियों के अभाव में यह संभव नहीं है कि प्रत्यर्थी द्वारा उस पर कोई उत्तर प्रस्तुत कर सकें।

14. विद्वान एकल पीठ के समक्ष इस संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी की अपील का ज्ञापन न तो इसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जो न्यायालय में उपस्थित था अथवा उसकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा पेश हलफनामे से समर्थित नहीं किया गया है, जिसमें यह तथ्य अंकित हो कि भेदभावपूर्ण व्यवहार के संबंध में विवाद उच्च न्यायालय के एकल पीठ के समक्ष उठाया गया था, लेकिन उक्त पीठ द्वारा उक्त विवाद को सुना नहीं गया था।

15. एक न्यायाधीश का रिकॉर्ड, जैसा कि सर्वविदित है, सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार अपीलार्थी, उच्च न्यायालय के एकल पीठ के समक्ष रिव्यू के लिए आवेदन दायर कर सकता था, जो नहीं किया गया।

16. इसलिए, हमारी राय में यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की हो।

17. श्री राय द्वारा यह तर्क देने का एक कमजोर प्रयास किया गया कि केंद्र सरकार की राय में भी उच्च माध्यमिक विद्यालय को आवंटित किये जाने वाले क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क में यह माना है कि गयाः

> " यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि विद्वान एकल पीठ ने अंकित किया है कि केंद्र सरकार द्वारा डी. डी. ए. के साथ किये गये पत्र व्यवहार का आधिकारिक रिकॉर्ड उनके सामने प्रस्तुत किए गया था। पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पष्ट रूप से विद्वान एकल पीठ द्वारा देखा गया हो जिससे यह दर्शित होता हो कि डी. डी. ए. की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था और उसके बाद अंततः इसके कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई। इस तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, हम संतुष्ट है कि भूमि की

दरें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी और डी. डी. ए. द्वारा तय नहीं की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से उसकी शक्ति या जिम्मेदारी का अत्याधिक प्रत्यायोजन नहीं किया गया और इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय के उक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, हम उनसे अलग दृष्टिकोण रखने के इच्छुक नहीं हैं।"

18. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई मैरिट नहीं है। यह हर्जे खर्चे के साथ तदनुसार खारिज की जाती है। वकील के शुल्क का मूल्यांकन 25,000 /-(केवल पच्चीस हजार रुपये) किया गया।

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हर्ष कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।